के स्थान, जो अगस्त, १९५७ से जे० टी०, एस० टी० और बी० टी० के प्रशिक्षण के लिये रखे गये हैं, खाली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना हिमाचल प्रदेश प्रशासन से मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में पंचायतें

६३४. श्री प० ला बरूपाल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के कितने पुरुष और स्त्रियां हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा इस बात का ध्यान रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि ऐसे व्यक्ति पंचायतों के पदाधिकारी न बनें जो छुआछूत को मानते हों ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) २४३६ पुरुष और ४८५ स्त्रियां ।

(ख) पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन करने के प्रश्न पर हिमाचल प्रदेश प्रशासन विचार कर रहा है जिससे कि अस्पृश्यता (अपराध) ऐक्ट १९५५ के अन्तर्गत सजा पाये हुये लोगों को पंचायत के पदों पर नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाये ।

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी

६३५. श्री प० ला बरूपाल : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों में पुस्तकें आदि खरीदने के लिये कितनी धन राशि बांटी गई ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : भारत सरकार की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, पुस्तकें खरीदने के लिये कोई राशि अलग से मंजूर नहीं की जाती है। जो भत्ता रहन-सहन के खर्च के लिये मंजूर किया गया है उसमें पुस्तकें आदि खरीदने का खर्च शामिल है ।

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को पुस्तके खरीदने के लिये कितनी धन-राशि बांटी गई इसकी सूचना हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियां

६३६. श्री प० ला बरूपाल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन में १९५७ में किस किस श्रेणी में कुल कितने अनुसूचित जाति के व्यक्ति रखे गये ;

(ख) सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिये नियत किया गया है ; और

(ग) क्या इनका भाग इन्हें मिलता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।